(ट्रांस)फॉर्मिंग स्पेसेज़:

क्वीयर लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का विस्तार

the yp foundation
feminist · intersectional · rights-based

द वाई पी फाउंडेशन के बारे में:

द वाई पी फाउंडेशन एक युवा-नेतृत्व और युवा-केंद्रित संस्था है, जो स्वास्थ्य समानता, जेंडर न्याय, यौनिकता अधिकारों और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर युवाओं के नारीवादी और अधिकार-आधारित नेतृत्व को बढ़ावा देता है।

the yp foundation
feminist · intersectional · rights-based

theypfoundation.org
info@theypfoundation.org
theypfoundation

लाउड एंड क्वीयर (LAQ) प्रोग्राम के बारे में:

लाउड एंड क्वीयर, द वाई पी फाउंडेशन की क्वीयर और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों तथा विविधता पर आधारित एक पहल है। इस पहल के माध्यम से हम संसाधन, मंच और नेतृत्व क्षमताएं विकसित करते हैं, ताकि स्वास्थ्य, यौनिकता, हिंसा और भेदभाव की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया जा सके और LGBTQIA+ व्यक्तियों के जीवन और अनुभवों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

इस श्रृंखला की दूसरी किताबें देखें:

(ट्रांस)फॉर्मिंग स्पेसेज़:

क्वीयर लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का विस्तार

श्रेय

द वाई पी फाउंडेशन उन सभी युवाओं का आभारी है, जो वर्षों से हमारे साथ जुड़े रहे हैं और जिन्होंने अपने अमूल्य दृष्टिकोण और अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं।

विचार, शोध और लेखन: ज़यन (he/him), नयनश्री हेमलानी (she/they), और इवान जैन (he/him)

युवा नेताओं द्वारा ज़मीनी आंकलन (ग्राउंड असेस्मेंट): अदिति रावत (she/her), अनामिका पटेल (she/they), अनुराग (he/him), दिया चौधरी (she/her), हेतवी (she/her), ज्योति मुहाल (she/they), निशी (she/they), श्रेया (she/her), और सौम्या (they/them)

संपादन, डिज़ाइन और चित्रण: मृणालिनी गोदारा (she/they)

कॉपीराइट वक्तव्य

यह प्रकाशन द वाई पी फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया है और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है। इसके किसी भी पुनः उपयोग या अनुकूलन के लिए मूल प्रकाशन को उचित श्रेय देना आवश्यक है।

प्रकाशित: जुलाई 2025

आभार

यह संसाधन उन सभी लोगों के सामूहिक सहयोग और विश्वास का प्रमाण है, जो इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे: हमारे यूथ लीडर्स, विशेषज्ञ, शोधकर्ता और वे सभी प्रतिभागी जिन्होंने आवश्यकता आंकलन (नीड्स असेस्मेंट) पूरा करने में हमारी मदद की (जिसने इस काम की नींव रखी) और परामर्श (कॉन्सल्टेशन) प्रक्रियाओं को सक्रिय रूप से आकार दिया। उनकी उत्साही भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया कि यह काम भारत में क्वीयर और ट्रांसजेंडर समुदाय के सबसे हाशिये पर मौजूद लोगों की आवाज़ों को सामने ला पाए। उनके प्रेम और प्रतिबद्धता से ही इस संसाधन को अर्थ और जीवन मिला है।

हम अपने सलाहकारों: अंकना डे, डॉ. हरिकीर्थन राघुराम, गौतम रामचंद्र, मिहिर सैमसन, राजीव आनंद कुशवाह और विहान वी, के अटूट सहयोग और विश्वास के लिए जितना धन्यवाद दें, कम है। उनके प्रोत्साहन, विचारों और आलोचनात्मक सोच ने हमें इन संकेतकों (इंडिकेटर्स) को समग्र रूप से विकसित करने में मदद की। उनके अमूल्य समय और सुझावों के बिना, इन संकेतकों को आपके सामने रखने का आत्मविश्वास जुटा पाना हमारे लिए संभव नहीं होता।

हम Expanding Queer People's Access to Leadership (EQUAL) 2.0, 2025 के सभी यूथ लीडर्स- अदिति रावत, अनामिका पटेल, अनुराग, दिया चौधरी, हेतावी, ज्योति मुहाल, निशी, श्रेया और सौम्या का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने जयपुर, लखनऊ और वाराणसी में 47 से अधिक जगहों और संस्थानों का दौरा किया, उन्हें विभिन्न सकारात्मक संकेतकों (अफर्मेटिव इंडिकेटर्स) के आधार पर आंका और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। उनकी मेहनत और निरंतर प्रयासों के कारण ही हम ज़मीनी अनुभवों और अवलोकनों को इस संसाधन में शामिल कर पाए। हम 2022-2025 के बीच जुड़े सभी यूथ लीडर्स और टीम का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस काम की नींव रखी। हम डॉ. कोलिका मित्रा के भी आभारी हैं, जिन्होंने मॉनिटरिंग और मूल्यांकन में हमारा साथ दिया और इस प्रक्रिया में हमें सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। वाराणसी में हमारे काम को उत्साह और एकजुटता के साथ समर्थन देने के लिए हम नीती का धन्यवाद करते हैं। कोलकाता में इन संकेतकों पर समुदाय के साथ परामर्श (कम्युनिटी कॉन्सल्टेशन) आयोजित करने में सहयोग देने के लिए *Sappho for Equality* की पूरी टीम का विशेष धन्यवाद। हम उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने इस परामर्श सभा में भाग लिया और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, उनके बिना यह काम संभव नहीं था।

हमारी डिज़ाइनर मृणालिनी गोदारा का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने वॉइस नोट्स से लेकर ईमेल और फीडबैक लेने तक हर स्तर पर हमारे साथ काम किया और यह सुनिश्चित किया कि यह संसाधन सुंदर दिखे।

हम द वाई पी फाउंडेशन की पूरी टीम का भी आभार व्यक्त करते हैं, खासकर उस टीम का जिसने क्वीयर और ट्रांसजेंडर अधिकारों पर इस काम को आगे बढ़ाया, ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर स्थान पहले से ही सिमट रहे हैं। हम Astraea Lesbian Foundation for Justice का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस पहल का समर्थन किया।

इन संकेतकों को लागू करना सिर्फ़ औपचारिक पालन तक सीमित नहीं है; यह वास्तविक समानता और समता को बढ़ावा देने, सभी की खुशहाली (वेलबीइंग) को बेहतर बनाने, और उस सामूहिक क्षमता को दिशा देने की बात है जो तब उभरती है जब हर आवाज़ को महत्व दिया जाता है। हम सभी हितधारकों से आग्रह करते हैं कि वे इन सुझावों को अपनाएं और हमारे सामाजिक स्थानों को ऐसे समावेशी और सशक्त स्थानों में बदलें, जहाँ विविध पहचान वाले लोग सिर्फ मौजूद न रहें, बल्कि फलें-फूलें भी। हमारी यह सामूहिक प्रतिबद्धता निश्चित रूप से हमारे समुदायों को मज़बूत बनाएगी और समाज को समृद्ध करेगी।

प्रभलीन और ज़यन

स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोगिता (एलायशिप)

भारतीय LGBTQIA+ समुदाय के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाले भेदभाव को समझने के लिए किए गए एक अध्ययन में भेदभाव की दो मुख्य श्रेणियाँ सामने आईं: क) प्रणालीगत स्तर (systemic level) पर भेदभाव, ख) संस्थागत स्तर (organisational level) पर भेदभाव

इस शोध के निष्कर्षों के आधार पर यह ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे ठोस कदमों की पहचान की जाए और उन्हें विस्तार से लागू किया जाए, जिनसे LGBTQIA+ समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ (accessible) और सकारात्मक और स्वीकार्य (अफर्मिंग) बन सकें।

स्रोत: अरोड़ा एल., भुजंग पी. एम., शिवकामी एम. मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य के माध्यम से भारतीय अस्पतालों में LGBTQIA+ मरीज़ों के साथ होने वाले भेदभाव को समझना: एक खोजपरक गुणात्मक अध्ययन। *सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर्स।*

खंड I: समावेशी ढाँचे और सुविधाएं

01. कुछ जेंडर-निष्पक्ष शौचालय (जेंडर-न्यूट्रल वॉशरूम) सुनिश्चित करके समावेशन को बढ़ावा दें, जो विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए सुलभ हों|

विस्तार से अर्थ: सार्वजनिक शौचालय (पब्लिक वॉशरूम) का इस्तेमाल कई ट्रांसजेंडर, नॉन-बाइनरी और जेंडर नॉन-कन्फॉर्मिंग लोगों के लिए गहरी चिंता का कारण बन सकता है, खासकर अस्पतालों में, जहाँ लोग पहले से ही बीमारी, दर्द या भावनात्मक तनाव से जूझ रहे होते हैं। सही-गलत ठहराए जाने का डर, सवाल उठाए जाने का ख्याल,यहाँ तक कि उत्पीड़न का डर इस अनुभव को और भी मुश्किल बना देता है।

स्पष्ट रूप से चिन्हित, निजी और एक से अधिक कक्षों (मल्टी-स्टॉल) वाले जेंडर-न्यूट्रल वॉशरूम उपलब्ध कराने से इस बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर और जेंडर नॉन-कन्फॉर्मिंग लोग बिना किसी डर, सही-गलत ठहराए जाने या किसी डर या रोक-टोक के बिना अपनी पहचान और व्यक्तिगत सहजता के अनुसार वॉशरूम चुन सकें ।

संदर्भ: सतत विकास लक्ष्य (SDG) 6 भी सभी के लिए स्वच्छता और जल की उपलब्धता तथा सतत प्रबंधन पर ज़ोर देता है।

02. सभी जेंडर पहचानों के लोगों के लिए माहवारी से जुड़े उत्पादों और गर्भनिरोधक साधनों की उपलब्धता और पहुँच सुनिश्चित करें।

विस्तार से अर्थ: माहवारी संबंधित साफ-सफाई को पारंपरिक रूप से सिर्फ महिलाओं से जुड़ा मुद्दा माना गया है, जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर, नॉन-बाइनरी और इंटरसेक्स लोगों की ज़रूरतें अक्सर नज़रअंदाज़ कर दी जाती हैं, जबकि सच यह भी है कि उनमें से भी काफी लोग मेनस्ट्रुएशन या माहवारी अनुभव करते हैं।

आमतौर पर अस्पतालों में सैनिटरी नैपकिन या टैम्पॉन की मशीनें सिर्फ महिलाओं के वॉशरूम में होती हैं। समान और न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, माहवारी से जुड़ी चीज़ें (मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स) और उनके सही निपटान (disposal) की व्यवस्था सभी वॉशरूम और मेडिकल रूम में होनी चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी जेंडर का वॉशरूम हो।

मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स अस्पताल के सभी हिस्सों में, सिर्फ वॉशरूम ही नहीं, बल्कि इमरजेंसी रूम, ओपीडी और नर्सिंग स्टेशन के पास भी, मुफ़्त या कम (सब्सिडाइज़्ड) दरों पर उपलब्ध होने चाहिए।

03. विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए पहुँच की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भौतिक ढाँचों (इनफ्रास्ट्रक्चर) को मज़बूत करें।

विस्तार से अर्थ: जहाँ LGBTQIA+ व्यक्ति पहले से ही सामाजिक और ढाँचों से जुड़ी बाधाओं का सामना करते हैं, वहीं विकलांग व्यक्तियों के लिए असुलभ ढाँचा (इनफ्रास्ट्रक्चर) हाशियाकरण की एक अतिरिक्त परत जोड़ देता है।

अस्पतालों में अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए रैम्प, लिफ्ट, स्पर्शनीय (टैक्टाइल) और ब्रेल साइनेज, व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरणों के माध्यम से पहुँच सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। भौतिक पहुँच केवल नियमों का पालन भर नहीं है, बल्कि यह सभी मरीज़ों, डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और स्टाफ की गरिमा, सुरक्षा और स्वायत्तता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।

04. अस्पताल के स्टाफ और हेल्थकेयर ट्रेनीज़ के लिए जेंडर-न्यूट्रल आवास और साझा स्थान उपलब्ध कराएं।

विस्तार से अर्थ: अस्पतालों और हेल्थकेयर ट्रेनिंग के परिवेश में स्टाफ और ट्रेनीज़ को अक्सर रहने और आराम करने की जगह की ज़रूरत होती है, जैसे नाइट शिफ्ट, ऑन-कॉल ड्यूटी या ट्रेनिंग के दौरान। जेंडर-न्यूट्रल और सुलभ आवास व आराम करने के स्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी स्टाफ और ट्रेनीज़ सुरक्षित, आरामदायक और सम्मानजनक स्थानों का उपयोग कर सकें। इन सुविधाओं को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वे निजता और गरिमा को बनाए रखें, ताकि लोग सुरक्षित रूप से आराम कर सकें और ठीक हो सकें।

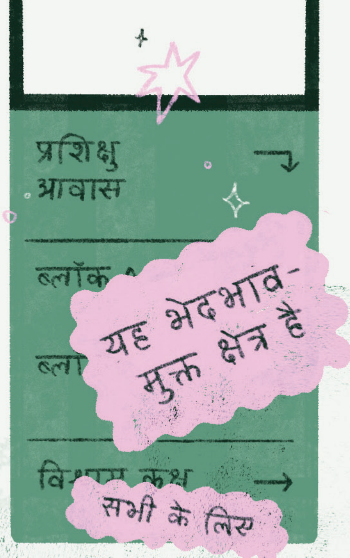

05. कैंटीन और प्रतीक्षा क्षेत्र जैसे साझा स्थानों को सभी के लिए समावेशी और सुलभ बनाएं।

विस्तार से अर्थ: कैंटीन, वेटिंग रूम और अन्य कॉमन एरिया ऐसे होने चाहिए जो सभी के लिए स्वागतयोग्य हों, जिसमें LGBTQIA+ व्यक्ति और विकलांग व्यक्ति भी शामिल हों सकें। कैंटीन में खाने-पीने की किफ़ायती चीज़ों की उपलब्धता, भौतिक पहुँच (जैसे रैम्प और उचित बैठने की व्यवस्था), और स्पष्ट भेदभाव विरोधी (anti-discrimination) संकेत जैसे समावेशी साइनेज या दृश्य (विज़ुअल) संकेत भी इसमें शामिल हैं। ये सभी कदम मिलकर ऐसा वातावरण बनाने में मदद करते हैं जहाँ हर व्यक्ति, चाहे वह मरीज़ हो, मरीज के साथ आया व्यक्ति (attendant) हो या स्टाफ, खुद को सुरक्षित और सहज महसूस कर सके।

06. ऐसे पोस्टर और साइनेज प्रदर्शित करें जो LGBTQIA+ समुदाय के लिए समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दें।

विस्तार से अर्थ: ऐसे पोस्टर और सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सामग्री प्रदर्शित करना जो अलग-अलग जेंडर पहचान, शरीर और पारिवारिक ढाँचों को दर्शाते हों, LGBTQIA+ समुदाय के मरीज़ों और अस्पताल स्टाफ को सुरक्षित और स्वीकार्य महसूस कराने में बहुत मदद करते हों।

छोटे-छोटे संकेत जैसे प्रोनाउन-अनुकूल संकेत (साइनेज), प्राइड फ्लैग, या ऐसे पोस्टर जिनमें क्वीयर जोड़े (कपल) और ट्रांसजेंडर लोग इलाज लेते हुए दिखाए गए हों, ये सभी बड़ा असर डाल सकते हैं। ये सामग्री STI जांच (टेस्टिंग), गर्भ समापन (अबॉर्शन) तक पहुँच और जेंडर-सकारात्मक देखभाल (जेंडर अफर्मिंग केयर) जैसी सेवाओं को सामान्य बनाने में भी मदद करती है, जो अब भी क्वीयर और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए काफी हद तक पहुँच के बाहर है।

07. अस्पतालों में सुलभ और समावेशी जेंडर-न्यूट्रल वार्ड स्थापित करें।

विस्तार से अर्थ: अधिकांश अस्पताल जेंडर की बाइनरी समझ (पुरुष/महिला) के आधार पर बने होते हैं, जिससे ट्रांसजेंडर, नॉन-बाइनरी और जेंडर विविध (जेंडर-डाइवर्स) लोगों के लिए सुरक्षित और आरामदायक देखभाल की जगह उपलब्ध नहीं होती है। अक्सर ट्रांसजेंडर लोगों को पुरुष या महिला वार्ड में से किसी एक को चुनने के लिए मज़बूर किया जाता है, जहाँ उन्हें मिसजेंडरिंग, निजी सवालों, यहाँ तक कि उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है, वह भी तब, जब वे पहले से ही बीमार या दर्द में हों।

जब सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के स्थान (पब्लिक हेल्थकेयर स्पेस) असुरक्षित लगते हैं, तो कई ट्रांसजेंडर लोग इलाज टालने, खुद दवा लेने या अनौपचारिक/अनियंत्रित सेवाओं की ओर जाने के लिए मज़बूर हो जाते हैं। इससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ते हैं और सिस्टम पर भरोसा कम होता जाता है।

इसलिए, सुलभ और समावेशी ट्रांसजेंडर या जेंडर-न्यूट्रल वार्ड स्थापित करना सकारात्मक और स्वीकार्य स्वास्थ्य देखभाल (अफर्मेटिव हेल्थकेयर) देने की दिशा में एक अहम कदम है। यह संस्थान की ओर से LGBTQIA+ व्यक्तियों की सुरक्षा, गरिमा और स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

इन वार्ड्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि हर स्तर पर अंतरसंबधिता (इंटरसेक्शनैलिटी) का ध्यान रखा जाए। उदाहरण के लिए, विकलांग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर-विशिष्ट और विकलांगता से जुड़ी दोनों तरह की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच मिलनी चाहिए। इन वार्ड्स में काम करने वाले स्टाफ को प्रशिक्षण के जरिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, और उन्हें यौन संचारित संक्रमण (STI), हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT), जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी और अन्य यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी होनी चाहिए [बिंदु 14 देखें]।

संदर्भ:

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, की धारा 15(f) और 15(g) के तहत अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करें, जिसमें समर्पित (dedicated) ट्रांसजेंडर वार्ड और मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज शामिल हैं।
- लेखे: दिल्ली के सामाजिक कल्याण विभाग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से अपील की कि "दिल्ली के हर सरकारी अस्पताल में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समर्पित वार्ड की स्थापना में तेज़ी लाई जाए।"

खंड II: स्वास्थ्य सेवाएं और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (SRHR) तक पहुँच

08. जेंडर सकारात्मक (जेंडर-अफर्मिंग) सेवाओं, सर्जरी और मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग तक पहुँच सुनिश्चित करें।

विस्तार से अर्थ: किफ़ायती और बिना भेदभाव वाली जेंडर-अफर्मिंग देखभाल तक पहुँच कई ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बेहद ज़रूरी और जीवन-रक्षक होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की जेंडर-अफर्मिंग सेवाएं शामिल होती हैं (लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है)।

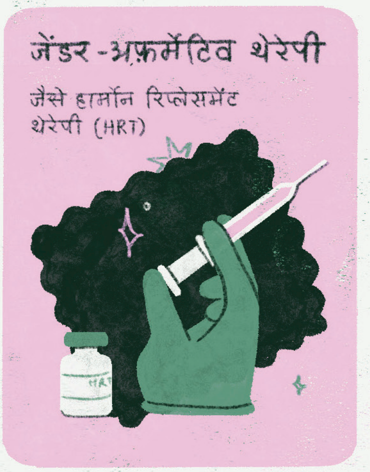

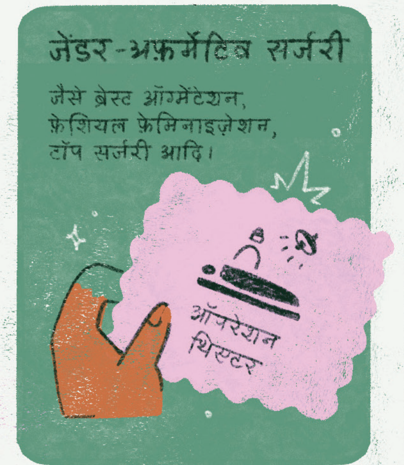

फिर भी, ये सेवाएं ज़्यादातर लोगों की पहुँच से बाहर रहती हैं। खासकर सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर लोगों को अक्सर लंबा इंतज़ार, बार-बार मनोवैज्ञानिक जाँच, या सीधे तौर पर इलाज से मना कर दिया जाता है। इसके कारण वे निजी, अनियमित या असुरक्षित विकल्पों की ओर जाने के लिए मज़बूर हो सकते हैं, जो महंगे या बिना निगरानी के होते हैं।

स्वास्थ्य प्रणाली (हेल्थकेयर सिस्टम) को इस खाई को पाटना होगा, और जेंडर-अफर्मिंग केयर को एक बुनियादी और आवश्यक स्वास्थ्य सेवा के रूप में मान्यता देनी होगी, न कि किसी विशेष या वैकल्पिक सेवा के रूप में। अस्पतालों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सेवाएं किफ़ायती, सुलभ हों और प्रशिक्षित व संवेदनशील पेशेवरों द्वारा दी जाएं [बिंदु 14b देखें]। अगर ये सेवाएं अस्पताल के भीतर उपलब्ध नहीं हैं, तो स्पष्ट रेफरल सिस्टम होना चाहिए ताकि मरीज़ की देखभाल लगातार बनी रहे।

जेंडर-अफर्मिंग केयर को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा के रूप में देखना और मानना, किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली में भरोसा, समानता और गरिमा बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

स्रोत:

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 15 के अनुसार, सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में जेंडर-अफर्मिंग हेल्थकेयर (जिसमें काउंसलिंग, हार्मोन थेरेपी और जेंडर-अफर्मेटिव सर्जरी शामिल हैं) की पहुँच सुनिश्चित करना अनिवार्य है। साथ ही, यह समावेशी अस्पताल ढांचे, संवेदनशील मेडिकल स्टाफ और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बीमा कवरेज की भी बात करता है।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 18 के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं यौनिकता, सेक्स या जेंडर पहचान के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जानी चाहिए।

09. स्त्रीरोग (गायनेकोलॉजी) सेवाओं को सभी जेंडर के लोगों के लिए समावेशी और सुलभ बनाएं।

विस्तार से अर्थ: स्त्रीरोग विज्ञान से जुड़ी देखभाल (गायनेकोलॉजिकल केयर) को अक्सर सिर्फ सिसजेंडर (cisgender) महिलाओं तक सीमित मान लिया जाता है, जिससे ट्रांसजेंडर, नॉन-बाइनरी और क्वीयर लोगों को - जिन्हें इन सेवाओं की ज़रूरत होती है - बाहर रखा जाता है या उनके साथ दुर्व्यावहार होता है। स्त्रीरोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट्स) का संवेदनशील होना और उन्हें यह ट्रेनिंग मिलना बहुत ज़रूरी है कि वे अनावश्यक या निजी दखल देने वाले सवाल न पूछें। इससे एक भेदभाव-मुक्त और सम्मानजनक स्वास्थ्य-देखभाल अनुभव सुनिश्चित किया जा सकता है।

यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि खराब या असम्मानजनक व्यवहार के कारण LGBTQIA+ लोग ज़रूरी प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं लेने से कतराते हैं, जिससे लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, गायनेकोलॉजी में समावेशी प्रैक्टिस सुनिश्चित करना समता और समानता की दिशा में एक अहम कदम है।

10. सभी के लिए सुलभ और किफायती HIV, STI टेस्टिंग और गर्भनिरोधक साधनों की उपलब्धता के ज़रिए रोकथाम-केंद्रित SRHR सेवाओं को मज़बूत करें।

विस्तार से अर्थ: नकारात्मक धारणा, गलत जानकारी और शर्म के कारण, LGBTQIA+ समुदाय के लोग खासकर, HIV और STI से जुड़ी सेवाओं तक पहुँच नहीं बना पाते। इससे इलाज में देरी होती है, जोखिम बढ़ता है और स्वास्थ्य के खराब परिणाम होते हैं।

अस्पतालों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि HIV और STI की जाँच, काउंसलिंग और रोकथाम से जुड़े साधन (जैसे प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PrEP) और पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PEP)) मुफ़्त और बिना किसी दोषारोपण (स्टिग्मा) के उपलब्ध हों। इन सेवाओं को निजी और बिना सही-गलत ठहराने वाले माहौल में दिया जाना चाहिए, और स्टाफ को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे संवेदनशीलता और गोपनीयता के साथ सेवा प्रदान करें। इन विषयों पर जानकारी देने वाले पोस्टर, सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सामग्री प्रदर्शित करना भी स्टिग्मा को कम करने, इन सेवाओं को सामान्य बनाने और लोगों को बिना डर या शर्म के इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

इसी तरह, सभी जेंडर के लोगों के लिए कंडोम, गर्भनिरोधक गोलियाँ, डेंटल डैम, वेजाइनल रिंग, पैच और इंट्रायूटेरिन डिवाइस (IUDs) जैसे सभी प्रकार के गर्भनिरोधक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना व्यापक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के लिए बेहद ज़रूरी है। यह न सिर्फ प्रजनन स्वास्थ्य की ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि STI की रोकथाम और सभी के लिए सुरक्षित यौन व्यवहार को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे उनकी जेंडर पहचान या यौनिकता कुछ भी हो।

11. लचीली और जेंडर-समावेशी वर्दी (यूनिफॉर्म) नीति अपनाएं।

विस्तार से अर्थ: स्वास्थ्य सेवाओं में मानकीकृत वर्दी (स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म) अक्सर जेंडर के आधार पर तय की जाती है, जिससे ट्रांसजेंडर, नॉन-बाइनरी और जेंडर-नॉनकन्फॉर्मिंग स्वास्थ्यकर्मियों को असहजता, जेंडर डिस्फोरिया या बहिष्कार का अनुभव हो सकता है।

स्क्रब्स और कोट्स के लिए जेंडर-न्यूट्रल विकल्प उपलब्ध कराना एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वर्दी की नीतियाँ अधिक समावेशी बन सकती हैं। एक लचीला दृष्टिकोण डॉक्टरों, स्टाफ और ट्रेनीज़ को ऐसे कपड़े चुनने की जगह देता है जो उनकी जेंडर पहचान और सहजता के अनुरूप हो, और उन्हें अपने पेशेवर दायित्व निभाते समय समर्थित महसूस कराए।

12. अस्पताल स्टाफ में LGBTQIA+ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।

विस्तार से अर्थ: स्वास्थ्य संस्थान केवल इलाज के स्थान ही नहीं, बल्कि कार्यस्थल भी होते हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं के लिए LGBTQIA+ लोगों को काम पर रखना, ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाले, संवेदनशील और समावेशी माहौल बनाने के लिए ज़रूरी है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के नियम 12 के अनुसार, सभी संस्थानों को समान अवसर नीति लागू करनी चाहिए और भेदभाव-रहित भर्ती सुनिश्चित करनी चाहिए। LGBTQIA+ मेडिकल स्टाफ की सक्रिय भर्ती कार्यस्थल में मौजूद पूर्वाग्रहों को चुनौती देती है, क्वीयर मरीजों के बीच विश्वास बढ़ाती है, और एक अधिक समावेशी संस्थागत संस्कृति को बढ़ावा देती है।

13. मेडिकल फॉर्म में जेंडर-समावेशी भाषा का उपयोग करें।

विस्तार से अर्थ: कई क्वीयर और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मेडिकल फॉर्म भरना असहजता या तनाव का अनुभव हो सकता है, खासकर तब जब इस्तेमाल की गई भाषा पहले से तय की हुई जेंडर पहचान, पारिवारिक ढाँचों या रिश्तों को मानकर चलती हो। इन फॉर्म्स में छोटे-छोटे बदलाव भी मरीज़ों को शुरुआत से ही सम्मानित और सुरक्षित महसूस कराने में बड़ा असर डाल सकते हैं।

अधिक समावेशी और सकारात्मक दस्तावेज़ीकरण के लिए अस्पताल निम्न बातों पर ध्यान दें:

- चुने हुए नाम (chosen name) और प्रोनाउन्स के लिए अलग कॉलम शामिल करें, आधिकारिक ज़रूरत (official purpose) के लिए कानूनी नाम भी साथ रखा जा सकता है।
- क्लिनिकल रूप से प्रासंगिक जानकारी के लिए जेंडर पहचान और जन्म के समय निर्धारित लिंग (sex assigned at birth) दोनों के बारे में पूछें।
- जेंडर-विशिष्ट शब्दों से बचें, जैसे:

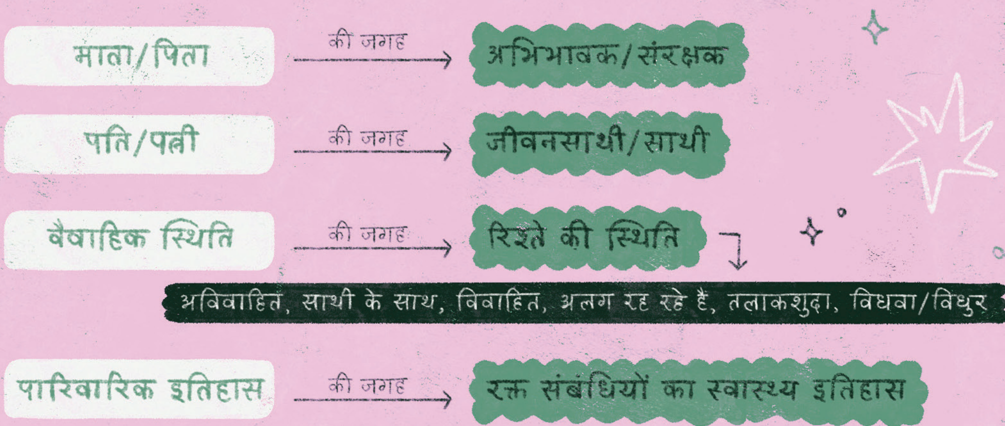

- दर्द या लक्षणों के दस्तावेज़ीकरण के लिए जेंडर-निष्पक्ष शरीर के चित्र (जेंडर-न्यूट्रल बॉडी डायग्राम) का उपयोग करें।

- आपातकाल में संपर्क (इमरजेंसी कॉन्टैक्ट) और निकटतम संबंधी (next-of-kin) में मरीज़ों को अपने चुने हुए परिवार (chosen family) के लोगों को दर्ज करने की अनुमति दें।

मेडिकल फॉर्म भले ही सामान्य प्रक्रिया लगते हों, लेकिन वे मरीज़ के पूरे उपचार अनुभव का स्वर तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें समावेशी बनाना, उनके प्रति समावेशिता दर्शाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है।

स्रोत: The National LGBTQIA+ Health Education Center, The Fenway Institute द्वारा प्रकाशित Creating an Inclusive Environment for LGBT Patients

14. सभी अस्पताल स्टाफ के लिए समावेशी प्रशिक्षण:

क. व्यापक यौनिकता शिक्षा (Comprehensive Sexuality Education) और संवेदनशीलता प्रशिक्षण

विस्तार से अर्थ: कई LGBTQIA+ व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचना एक डरावना अनुभव हो सकता है, क्योंकि उन्हें मिसजेंडरिंग, गलत समझे जाने, नजरअंदाज किए जाने या भेदभाव का डर रहता है। यही कारण है कि वे अक्सर ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं लेने से बचते हैं या असुरक्षित विकल्पों की ओर चले जाते हैं।

इस स्थिति को सुधारने के लिए अस्पतालों को सभी स्टाफ के लिए नियमित संवेदनशीलता और व्यापक यौनिकता शिक्षा सत्र आयोजित करने चाहिए, जिनमें निम्न विषय शामिल हों (लेकिन इन्हीं तक सीमित न हों):

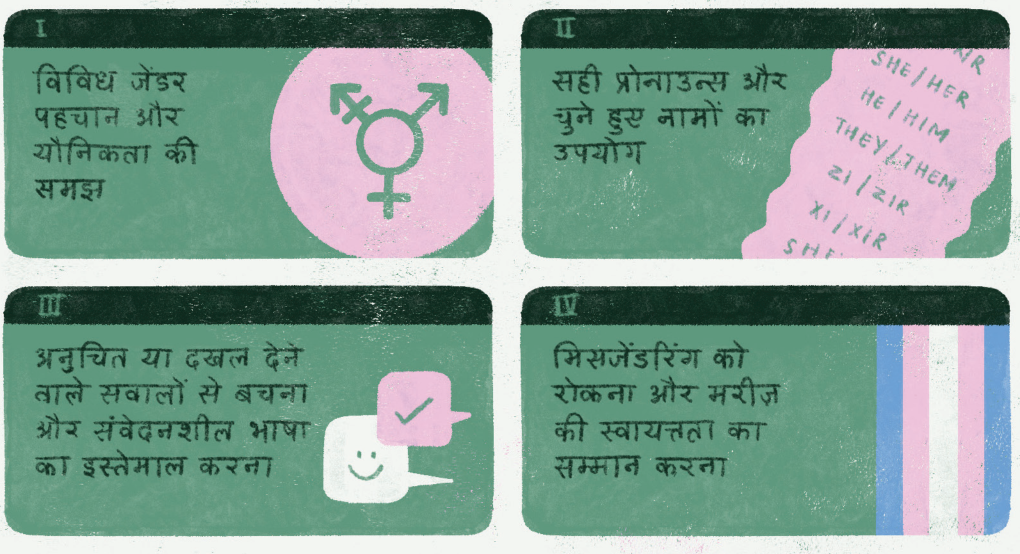

वास्तव में समावेशी बनने के लिए इन सत्रों में अंतरसंबंधीय (इंटरसेक्शनल) दृष्टिकोण भी शामिल होना चाहिए, जिससे यह समझा जा सके कि जाति, वर्ग, धर्म और विकलांगता जैसे कारक किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को कैसे प्रभावित करते हैं।

जब स्टाफ संवेदनशील और प्रशिक्षित होता है, तो वे ऐसा वातावरण बनाने में मदद करते हैं जहाँ सभी मरीज़ खुद को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करते हैं।

संसाधन:

- *Providing Inclusive Services and Care for LGBT People* (Part 2), The National LGBTQIA+ Health Education Center, The Fenway Institute
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 15(f), जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रावधान करती है।

ख. जेंडर-सकारात्मक (जेंडर-अफर्मिंग) और समावेशी देखभाल के लिए क्लिनिकल प्रशिक्षण

विस्तार से अर्थ: डॉक्टरों और क्लिनिकल स्टाफ़ को भी नियमित और विशेष ट्रेनिंग के ज़रिए LGBTQIA+ लोगों की देखभाल करने के लिए तैयार होना चाहिए:

- **सर्जन**
  को जेंडर-अफ़र्मिंग प्रक्रियाओं, जैसे कि टॉप और बॉटम सर्जरी, के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट**
  को यौवन अवरोध (प्यूबर्टी ब्लॉकर्स), हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) और इनके यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से संबंध की समझ होनी चाहिए।
- **मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों**
  को क्वीयर और ट्रांस-अफर्मिंग काउंसलिंग देने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जिसमें जेंडर पहचान, कमिंग आउट, भेदभाव से जुड़े ट्रॉमा और सामाजिक-ट्रांसजिशन को समझने में सहायता शामिल हो।
- **सभी क्लिनिकल स्टाफ**
  को समझ होनी चाहिए कि विभिन्न जेंडर पहचान के संदर्भ में गर्भनिरोधक और माहवारी से जुड़े उत्पादों का उपयोग कैसे होता है।
- तकनीकी प्रशिक्षण को हमेशा व्यापक यौनिकता शिक्षा (comprehensive sexuality education) और संवेदनशीलता प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि स्वास्थ्यकर्मी यह समझ सकें कि LGBTQIA+ लोग चिकित्सा प्रणाली में किस प्रकार के स्टिग्मा, भेदभाव और अदृश्यता (erasure) का सामना करते हैं। इस समझ के बिना, भले ही मेडिकल तौर से सही उपचार दिया जाए परन्तु ये चिकित्सा असुरक्षित या अस्वीकारात्मक महसूस हो सकता है।

जब मेडिकल टीमों को संवेदनशील बनाया जाता है और क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है, तो वे संवेदनशीलता और समझदारी के साथ सम्मानजनक देखभाल देने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो जाती हैं, जिससे पूरी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था सुरक्षित और ज़्यादा समावेशी बन जाती है।

स्रोत:

- Conversion Therapy (Prohibition) Bill, 2022 के अनुसार संस्थानों में किसी भी प्रकार की कन्वर्ज़न थेरेपी के लिए शून्य सहनशीलता (zero tolerance) होनी चाहिए।
- ट्रांसजेंडर और जेंडर-विविध लोगों के लिए समावेशी स्वास्थ्य सेवाएँ: अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियाँ, द नेशनल LGBTQIA+ हेल्थ एजुकेशन सेंटर, द फेनवे इंस्टीट्यूट

15. इंटरसेक्स शिशुओं पर 'सेक्स-सामान्यीकरण' सर्जरी के खिलाफ सख्त प्रोटोकॉल लागू करें।

विस्तार से अर्थ: 'सेक्स-नॉर्मलाइज़िंग' सर्जरी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो बिना सहमति के और बिना किसी मेडिकल ज़रूरत के की जाती हैं। इनका मकसद किसी इंटरसेक्स बच्चे की शारीरिक बनावट को बाइनरी (महिला/पुरुष) जेंडर के नियमों के हिसाब से ढालना होता है, न कि किसी तुरंत स्वास्थ्य जोखिम का इलाज करना। ये प्रक्रियाएं शरीर के अंदरूनी हिस्सों में दखल देने वाली होती हैं और बच्चे की अपनी पहचान, शरीर पर अपने अधिकार और लंबे समय तक मानसिक व शारीरिक सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं। ऐसी सर्जरी पर सख़्त रोक लगाना ज़रूरी है ताकि नैतिक मानकों को बनाए रखा जा सके और मरीज़ के अधिकारों की रक्षा हो सके। ऐसा करके यह पक्का किया जा सकता है कि गैर-ज़रूरी और जिन्हें बदला न जा सके, ऐसे मेडिकल फ़ैसलों को तब तक के लिए टाल दिया जाए जब तक मरीज़ पूरी जानकारी के साथ अपनी सहमति देने के लायक न हो जाए।

संदर्भ: तमिलनाडु भारत का एकमात्र राज्य है जिसने सरकारी आदेश के माध्यम से, जीवन-रक्षक स्थितियों को छोड़कर, ऐसी सर्जरियों पर प्रतिबंध लगाया है।

16. भेदभाव और यौन उत्पीड़न के मामलों को सुलझाने के लिए POSH के तहत एक आंतरिक समिति (IC) और शिकायत समिति का गठन करें।

विस्तार से अर्थ: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, के तहत प्रत्येक संस्थान के लिए एक आंतरिक समिति (IC) बनाना अनिवार्य है, जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों को सुने और उनका समाधान करे। IC का दायरा और POSH नीति स्पष्ट रूप से सभी जेंडर पहचान और यौनिकता को शामिल करे। गोपनीय जाँच की व्यवस्था और स्पष्ट समय-सीमा के साथ समाधान प्रक्रिया विकसित करना, विश्वास, जवाबदेही और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए बेहद ज़रूरी है।

इसके अतिरिक्त, IC के साथ एक अलग शिकायत समिति (Grievance Committee) स्थापित करने से रंगभेद , जेंडर, यौनिकता, विकलांगता, धर्म या जाति आधारित भेदभाव के मामलों को संवेदनशीलता के साथ उठाने और सुलझाने में मदद मिलती है। इन समितियों के सदस्यों का नियमित प्रशिक्षण और संवेदनशीलता बढ़ाना भी सभी के लिए सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

शब्दावली

अगर किसी परिभाषा में कोई शब्द हाइलाइट किया गया है, तो इसका मतलब है कि वह शब्द इस शब्दावली में कहीं और समझाया गया है। ये सभी शब्द एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें साथ में पढ़ने से अलग-अलग जेंडर पहचान (gender identities) और/यौन रुझान (sexual orientations) को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।

हिंदी में ऐसे और शब्द जानने के लिए इन्क्लूसिव न्यूज़रूम्स (द न्यूज़ मिनट और क्वीयर चेन्नई क्रॉनिकल्स) का संसाधन देख सकते हैं।

एसेक्शुअल

एक व्यक्ति जिसे दूसरों के प्रति बहुत कम या बिल्कुल भी यौन आकर्षण महसूस नहीं होता। एसेक्शुअलिटी (asexuality) एक स्पेक्ट्रम है, कुछ एसेक्शुअल लोग रोमांटिक या भावनात्मक आकर्षण महसूस कर सकते हैं, या बहुत कम या खास परिस्थितियों में यौन आकर्षण अनुभव कर सकते हैं (इसमें ग्रेसेक्सुअल या डेमीसेक्सुअल जैसी पहचानें शामिल हो सकती हैं)।

यह याद रखना ज़रूरी है कि LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम के कई शब्द लचीले (flexible) और स्वयं-परिभाषित (self-defined) होते हैं। लोग अपने लिए वह शब्द चुन सकते हैं जो उन्हें सही लगे, और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी समय खुद को एसेक्शुअल के रूप में पहचान सकता है, चाहे उनका यौन अनुभव या इतिहास कुछ भी रहा हो।

इंटरसेक्स

यह एक व्यापक श्रेणी है, जिसमें वे लोग आते हैं जिनके जैविक और शारीरिक गुण पारंपरिक 'पुरुष' या 'महिला' श्रेणियों में स्पष्ट रूप से फिट नहीं होते। इंटरसेक्स होना मानव जैविक विविधता का स्वाभाविक हिस्सा है।

यदि बच्चे के जननांग सामान्य पुरुष या महिला की परिभाषाओं में स्पष्ट रूप से फिट न हों, तो जन्म के समय उसे इंटरसेक्स के रूप में पहचाना जा सकता है। हालाँकि, इंटरसेक्स विशेषताएं हमेशा जन्म के समय दिखाई या पहचानी नहीं जातीं, कई लोगों को उनके शरीर की विविधताओं के बावजूद जन्म के समय पुरुष या महिला के रूप में दर्ज किया जाता है।

क्वीयर

यह एक व्यापक शब्द है, जिसका इस्तेमाल लोग विभिन्न यौनिकता/यौन पहचान, जेंडर पहचान और सेक्स विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं, जो सिसजेंडर और हेटरोनॉर्मेटिव मानकों से बाहर आती हैं।

गे

कोई व्यक्ति जो खुद को पुरुष मानता है और यौन, भावनात्मक और/या रूमानी रूप से उन अन्य लोगों की ओर आकर्षित होता है जो खुद को पुरुष मानते हैं।

यह याद रखना ज़रूरी है कि LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम के कई शब्द लचीले (flexible) और स्वयं-परिभाषित (self-defined) होते हैं। लोग अपने लिए वह शब्द चुन सकते हैं जो उन्हें सही लगे, और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी समय खुद को गे रूप में पहचान सकता है, चाहे उनका यौन अनुभव या इतिहास कुछ भी रहा हो।

जन्म के समय निर्धारित सेक्स

जन्म के समय निर्धारित लिंग (Sex assigned at birth) वह होता है (आमतौर पर पुरुष, महिला या इंटरसेक्स) जो किसी व्यक्ति के जन्म के समय दर्ज किया जाता है, आमतौर पर बाहरी जननांगों के आधार पर।

हर व्यक्ति को जन्म के समय एक लिंग दिया जाता है, और अक्सर इसी के आधार पर उसकी जेंडर पहचान भी तय कर दी जाती है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि यह तय किया गया जेंडर आगे चलकर उस व्यक्ति की जेंडर पहचान से मेल खाए।

जेंडर

एक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था जिसके आधार पर लोगों को उनके शारीरिक और जैविक गुणों के अनुसार 'पुरुष' या 'महिला' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह व्यक्ति के व्यवहार, भूमिकाओं, दिखावट, भावनाओं और अभिव्यक्ति से जुड़ी अपेक्षाओं को भी प्रभावित करता है।

जेंडर एक स्पेक्ट्रम पर होता है, और कोई व्यक्ति खुद को पुरुष, महिला, दोनों या इनमें से कोई नहीं मान सकता है।

यह जन्म के समय निर्धारित सेक्स (sex assigned at birth) से अलग होता है और व्यक्तिगत पहचान, संस्कृति और जीवन के अनुभवों से प्रभावित होता है।

जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी (GAS)

ये वो सर्जरी है जो क्वीयर या ट्रांसजेंडर लोग अपनी जेंडर पहचान को पुष्ट (affirm) करने या अपने शरीर को अपनी पहचान के अनुसार ढालने के लिए कराते हैं। हर व्यक्ति के लिए GAS करवाना ज़रूरी नहीं है, बिना सर्जरी के भी किसी की जेंडर पहचान पूरी तरह मान्य होती है।

GAS में टॉप सर्जरी, स्तन वृद्धि (ब्रेस्ट ऑग्मेंटेशन), चेहरे की नारीकरण सर्जरी (फेशियल फेमिनाइज़ेशन सर्जरी), ऑर्किएक्टॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी आदि शामिल होती है।

जेंडर पहचान

यह बताती है कि कोई व्यक्ति अपने जेंडर को कैसे समझते हैं, अनुभव करते और खुद को कैसे परिभाषित करते हैं। जेंडर पहचान का संबंध ज़रूरी नहीं कि उस शरीर से हो जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है, और यह जन्म के समय दिए गए जेंडर की पहचान से अलग भी हो सकती है।

हर व्यक्ति की एक जेंडर पहचान होती है (जैसे सिसजेंडर, ट्रांसजेंडर आदि), और यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम में मौजूद होती है।

जेंडरक्वीयर

इस शब्द का उपयोग वे लोग करते हैं जिनकी जेंडर पहचान 'पुरुष' और 'महिला' की पारंपरिक द्विआधारी (binary) सीमाओं से बाहर होती है।

जेंडरक्वीयर लोग एक से अधिक जेंडर, कोई जेंडर नहीं, या बदलती/फ्लुइड जेंडर पहचान के साथ खुद को पहचान सकते हैं। कुछ जेंडरक्वीयर लोग खुद को ट्रांसजेंडर भी मानते हैं, जबकि कुछ नहीं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपनी पहचान को कैसे समझता और नाम देता है।

LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम के अन्य शब्दों की तरह, जेंडरक्वीयर भी लचीली (flexible) और स्वयं-परिभाषित (self-defined) पहचान है।

डेडनेमिंग

किसी ट्रांसजेंडर या जेंडरक्वीयर व्यक्ति को उसके पुराने नाम (deadname) से पुकारना। डेडनेम वह नाम होता है जो जन्म के समय दिया गया था, लेकिन जिसे वह व्यक्ति अब इस्तेमाल नहीं करते या उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ते।

चाहे यह जानबूझकर हो या गलती से, डेडनेमिंग एक बहुत ही तकलीफदेह और हानिकारक अनुभव हो सकता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति

एक व्यक्ति जिसकी जेंडर पहचान जन्म के समय निर्धारित जेंडर पहचान से अलग होती है।

'ट्रांस*' (जिसमें एक एस्टरिस्क या तारा-चिह्न होता है) शब्द का इस्तेमाल कभी-कभी इस दायरे की व्यापक और समावेशी प्रकृति को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसमें कई तरह की नॉन-सिसजेंडर पहचानें शामिल होती हैं।

ट्रांसजेंडर पुरुष

ऐसे व्यक्ति जिन्हें जन्म के समय महिला माना गया हो, लेकिन आगे चल कर जिनकी जेंडर पहचान एक पुरुष की हो।

ट्रांसजेंडर महिला

एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें जन्म के समय पुरुष माना किया गया हो, लेकिन आगे चल कर जिनकी जेंडर पहचान एक महिला की हो।

ट्रांसमास्कुलिन व्यक्ति

कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जन्म के समय पुरुष नहीं माना गया था, लेकिन जो खुद को मर्दानगी के दायरे में पहचानता और व्यक्त करता है। ट्रांसमैस्कुलिन व्यक्ति किसी भी जेंडर पहचान के साथ खुद को पहचान सकते हैं। यह एक स्वयं-परिभाषित शब्द है।

ट्रांसफेमिनिन व्यक्ति

ऐसा व्यक्ति जिसे जन्म के समय महिला नहीं माना गया था, लेकिन जो खुद को नारीत्व (femininity) के दायरे में पहचानता और व्यक्त करता है। ट्रांसफेमिनिन व्यक्ति किसी भी जेंडर पहचान से खुद को जोड़ सकते हैं। ट्रांसफेमिनिन एक ऐसा शब्द है जिसे व्यक्ति खुद चुनते हैं, और लोग अपने अनुभवों के आधार पर इससे अलग-अलग तरह से जुड़ सकते हैं।

नॉन-बाइनरी

ऐसा व्यक्ति जो खुद को न तो पुरुष मानता है और न ही महिला; यानी वे पारंपरिक जेंडर बाइनरी (स्त्री-पुरुष के दोहरे वर्गीकरण) के किसी भी छोर से खुद को नहीं जोड़ते। कुछ नॉन-बाइनरी लोग खुद को जेंडरक्वीयर भी मानते हैं, जबकि कुछ ऐसा नहीं मानते - यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपनी पहचान को कैसे समझता और क्या नाम देता है।

LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम के कई शब्दों की तरह, 'नॉन-बाइनरी' शब्द भी लचीला है और इसे व्यक्ति खुद तय करता है।

बाइसेक्शुअल

एक व्यक्ति जो एक से अधिक जेंडर के लोगों की ओर यौनिक, भावनात्मक और/या रोमांटिक आकर्षण महसूस करते है। इसमें अपने ही जेंडर के लोगों के साथ-साथ अलग जेंडर के लोगों के प्रति आकर्षण भी शामिल हो सकता है।

यह याद रखना ज़रूरी है कि LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम के कई शब्द लचीले (flexible) और स्वयं-परिभाषित (self-defined) होते हैं। लोग अपने लिए वह शब्द चुन सकते हैं जो उन्हें सही लगे, और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी समय खुद को बाइसेक्शुअल के रूप में पहचान सकते हैं चाहे उसका यौन अनुभव या इतिहास कुछ भी रहा हो।

मिसजेंडरिंग

किसी व्यक्ति को ऐसे सर्वनाम, नाम या जेंडर से जुड़े शब्दों से संबोधित करना जो उनकी जेंडर पहचान से मेल नहीं खाते। चाहे यह जानबूझकर हो या गलती से, मिसजेंडरिंग एक बहुत ही तकलीफदेह और हानिकारक अनुभव हो सकता है क्योंकि यह व्यक्ति की पहचान को नज़रअंदाज़ करता है।

प्रोनाउन्स/ सर्वनाम

वे शब्द जिनका इस्तेमाल हम किसी व्यक्ति के नाम की जगह करते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में she/her, he/him, या they/them। हर व्यक्ति के अपने प्रोनाउन्स होते हैं, और सही प्रोनाउन्स का इस्तेमाल करना उस व्यक्ति की जेंडर पहचान का सम्मान करना और स्वीकार करना है। अगर आप किसी व्यक्ति के सर्वनाम (प्रोनाउन्स) नहीं जानते तो आप हिंदी में उन्हें बहुवचन क्रिया के जरिए संबोधित कर सकते हैं। जैसे "वो व्यक्ति जो उस तरफ स्कूटर पर जा रहे हैं उनकी कमीज़ तो काफ़ी सुंदर है।"

लेस्बियन

वह व्यक्ति जो खुद को एक महिला के रूप में पहचानते हैं और जो अन्य महिलाओं की ओर यौन, भावनात्मक और/या रोमांटिक रूप से आकर्षित होते हैं।

यह याद रखना ज़रूरी है कि LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम के कई शब्द लचीले (flexible) और स्वयं-परिभाषित (self-defined) होते हैं। लोग अपने लिए वही शब्द चुन सकते हैं जो उन्हें सही लगें, और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी समय, अपने अनुभव या इतिहास की परवाह किए बिना, खुद को लेस्बियन के रूप में पहचान सकते हैं।

LGBTQIA+

एक छत्र (अंब्रेला) शब्द है जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीयर, इंटरसेक्स, एसेक्शुअल और अन्य पहचानें शामिल होती हैं। "+" यह दर्शाता है कि इसके अलावा भी कई यौन पहचानें, जेंडर पहचानें और अनुभव हैं (जैसे पैनसेक्शुअल, नॉन-बाइनरी, जेंडरफ्लूइड आदि)। यह विविधता और पहचान के लचीलापन को दर्शाता है, और यह भी बताता है कि भाषा समय के साथ बदलती रहती है। यह पहचान की विविधता और उसके बदलते, लचीले स्वभाव को दर्शाता है, और हमें याद दिलाता है कि लोगों के नए-नए तरीकों से खुद को व्यक्त करने के साथ-साथ भाषा भी लगातार विकसित होती रहती है।

सिसजेंडर

एक व्यक्ति जिसकी जेंडर पहचान वही होती है जो जन्म के समय उसके लिये निर्धारित (assigned) की गई थी (आमतौर पर यह निर्धारित पहचानें पुरुष या महिला की होती हैं।

यौनिकता/ यौन पहचान

यह बताता है कि कोई व्यक्ति दूसरों की ओर यौनिक, भावनात्मक और/या रोमांटिक रूप से कैसे आकर्षित होता है।

हर व्यक्ति का एक यौनिक झुकाव होता है, कोई समान जेंडर, अलग जेंडर, एक से अधिक जेंडर, या किसी की ओर भी आकर्षित हो सकता है। यह एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद होता है और इसमें गे, लेस्बियन, बाइसेक्शुअल, पैनसेक्शुअल, एसेक्शुअल, क्वीयर आदि पहचानें शामिल हो सकती हैं।

यह जेंडर पहचान से अलग होता है, जो व्यक्ति की अपनी पहचान और जेंडर के अनुभव से जुड़ा होता है।

rights-based • intersectional • feminist

YP

theypfoundation.org

info@theypfoundation.org

theypfoundation

इस टूलकिट को
ऑनलाइन देखने और
इसमें दिए गए क्लिक
करने योग्य लिंक का
उपयोग करने के लिए इस
QR कोड को स्कैन करें: